न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 25/09 **निर्णय दिनांक** 15-1-17

1. मोतीराम पति पदमा पुत्री रामलाल
2. ईसरराम पुत्र पदमा पत्नि मोतीराम
3. पूर्णाराम पुत्र पदमा पत्नि मोतीराम
4. नारायणी
5. मघी पुत्रियॉ पदमा पत्नी मोतीराम
6. पावर्ती जाति जाट निवासी लालमदेसर बड़ा
7. रामकंवरी तहसील नोखा, जिला बीकानेर
8. जेठी
9. रूखमा

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. प्रहलाद पुत्र पुरखाराम हीराराम
2. भिराजराम
3. कानाराम जाति जाट निवासी केसरदेसर जाटान तहसील
4. रामचन्द्र व जिला बीकानेर।
5. केशराराम
6. श्रीराम
7. मु. चुन्नी धर्मपत्नी मानाराम पुत्री हीराराम जाति जाट हिम्मतासर तहसील व जिला बीकानेर।
8. मु. पानी धर्मपत्नी मांगीलाल पुत्री हीराराम जाट
9. मु. आसी धर्मपत्नी हड़मानाराम पुत्री हीराराम
10. पेमाराम पुत्र हरदासराम जाति जाट निवासी केसरदेसर जाटान
11. भंवराराम तहसील व जिला बीकानेर।
12. हेमाराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी हिम्मतासर, बीकानेर
13. मु. बाधु धर्मपत्नी कानाराम पुत्री किशनाराम निवासी ग्राम सीणीवाला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
14. रामेश्वर पुत्र/पुत्री अन्नाराम व जमना पुत्र किशनाराम
15. मु. रेवन्ती जाति जाट निवासी महियो की ढाणी, नोखा
16. धन्नी पुत्री पारू पुत्री स्व. रामलाल पत्नी मेहताराम जाति जाट निवासी सीणीवाला तहसील नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

7. हमारा मन्तव्य है कि अपीलार्थी अपनी बहस व नजीरों से यह सिद्व करने में समर्थ रहे है कि विधवा पुत्री जो कि अपने पिता की भूमि में जरिये म्यूटेशन संख्या 101 द्वारा खातेदार हो चुकी थी, कि भूमि को हड़पने के कुत्सित प्रयास की दृष्टि से प्रत्यर्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में गलत उनवान से जानबूझकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए सह 63(4) व 125/136 एलआरएक्ट के तहत किया जाकर एकतरफा डिक्री प्राप्त कर ली।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून की दृष्टि से न्यायपरक नहीं पाते। अतः इस निर्णय के बिन्दु संख्या 6 के मद संख्या 1 से 8 तक की विवेचना एवं अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों के प्रकाश में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिलें खारिज करार दिया जाकर आदेश दिया जाना उपयुक्त समझते है, कि नामान्तरकरण संख्या 101 को बहाल रखा जावे एवं पदमा पत्नी मोतीराम के वारिसों का नाम तदनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 15-1-12 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर